कार्यालय नगर परिषद छपारा, जिला–सिवनी (म.प्र.)

शंकर मढ़िया के पास, वार्ड क्र.13, छपारा, जिला–सिवनी 480884

Email- cmochhapara@mpurban.gov.in phone no.- 07691290103

क्रमांक / 160 / राजस्व / न.परि. / 2026 छपारा, दिनांक 24 / 04 / 2026

–: बाजार फीस वसूली ठेके पर दिये जाने हेतु ई–निविदा आमंत्रण सूचना :–

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद छपारा जिला सिवनी म.प्र. द्वारा निम्न तालिका अनुसार म0प्र0 नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अतंरण) नियम 2016 एवं संशोधित नियम म0प्र0 राजपत्र (असाधरण) प्राधिकार से प्रकाशित नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल दिनांक 04 मई 2021 में दिये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु (01 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक) 10 माह की अवधि के लिये **साप्ताहिक बाजार फीस वसूली, मछली / मटन / चिकन बाजार ठेका, वाहन (बस / मालवाहक) स्वच्छता शुल्क** ठेके पर दिये जाने हेतु ई–निविदायें आमंत्रित की जा रही है। निविदा का विस्तृत विवरण म0प्र0 शासन की बेवसाईट https://mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। नगर परिषद छपारा में ई–निविदा दरें प्रस्तुत कर सकते है। अतिरिक्त जानकारी इस बेवसाईट पर टेंण्डर डाक्यूमेंट पर देखी जा सकती है या नगर परिषद छपारा कार्यालय के राजस्व शाखा में उपस्थित होकर भी कार्यालीन समय पर देखी जा सकती है।

ई–निविदा हेतु बाजार फीस वसूली ठेके का विवरण

निविदा आई.डी.	ठेके का नाम	साप्ताहिक / दैनिक वसूली	आरक्षित मूल	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र राशि
2026_UAD_498584_1	साप्ताहिक बैठकी बाजार ठेका	साप्ताहिक वसूली	9,30,824 / –	93,082 / –	2,000 / –
2026_UAD_498585_1	मछली / मटन / चिकन मार्केट ठेका	दैनिक वसूली	1,00,000 / –	10,000 / –	2,000 / –
2026_UAD_498590_1	वहन (बस / मालवाहक) स्वच्छता शुल्क ठेका	दैनिक वसूली	3,00,000 / –	30,000 / –	2,000 / –

शर्तें :–

01. प्रत्येक निविदाकार शासन द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकृत प्रणाली के पोर्टल की बेवसाईट में पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिस नाम से आई.डी होगी उसी नाम से निविदा ऑफर प्रस्तुत किया जावेगा।
02. ऑन लाईन निविदा प्रपत्र दिनांक **25 / 04 / 2026 को समय 18:30 से दिनांक 12 / 05 / 2026 को 17:30 बजे** तक किया जा सकते है।
03. ऑन लाईन बिड (बोली) सबमिट करने की तिथि **12 / 05 / 2026 को 17.30 बजे** तक।
04. ई निविदा दिनांक **14 / 05 / 2026 को 11.00 बजे** से खोली जावेगी।
05. ऑनलाईन निविदा फार्म–ए–में निविदाकार को निम्नलिखित दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। (क) अमानत राशि (ईएमडी) ऑनलाईन रिसीप्ट (निविदादाता के स्वंय के खाते से जमा की हुई) (ख) निर्धारित प्ररूप में शपथ पत्र (Affidevit) (ग) आधार कार्ड पेनकार्ड
06. निविदा फार्म में अमानत राशि का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से मान्य होगा।
07. निविदा फार्म में अमानत राशि के साथ अन्य दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
08. निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तो के सबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नही है के मामले में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश / दिशा निर्देश मान्य होंगे जो कि अन्तिम होंगे।
09. निविदा में संशोधन केवल बेवसाईट पर देख सकतें है। अखबारों में इसका प्रकाशन नही किया जावेगा

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया

01. निविदा दौ लिफाफा पध्दति (AC) ऑन लाईन प्रस्तुत की जावेगी।
02. ऑनलाईन लिफाफा में A में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। (क) निविदा प्रपत्र की रसीद (ख) धरोहर राशि Online payment through Debit card/Credit card/Net Banking or System Generated Challan (ग) पेनकार्ड, निर्धारित प्ररूप में सपथ पत्र।
03. लिफाफा A में निर्धारित माप दंड / आर्हता पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित आर्हता पूर्ण नही करने वाले निविदाकार को अपात्र मानकर वित्तीय लिफाफा –C नही खोला जावेगा।
04. लिफाफा C - (वित्तीय बिड) ऑन लाईन प्रस्तुत करनी होगी।

नोट :– ठेके के ऑन लाईन ऑफर प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सर्व प्रथम अपना डिजिटल हस्ताक्षर बनवाना आवश्यक है। इसके पश्चात https://mptenders.gov.in बेवसाईट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। डिजिटल हस्ताक्षर की सहायता से आई.डी व पासवर्ड के माध्यम से आवेदन की बेवसाईट https://mptenders.gov.in पर लागिन करने के पश्चात Urban Administration and Development में जाकर टेंण्डर सर्च कर अपनी पंसद के ठेके के लिये ऑन लाईन आवेदन कर सकते है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद छपारा
जिला–सिवनी (म.प्र.)

अन्य आवश्यक शर्ते :–

01. नगर परिषद छपारा के स्वामित्व की **साप्ताहिक बाजार फीस वसूली, मछली/मटन/चिकन बाजार ठेका, वाहन (बस/मालवाहक) स्वच्छता शुल्क एवं अस्थाई दखल शुल्क वसूली ठेका** वर्ष 2026–27 (01 मई 2026 से 31 मार्च 2027 तक) अवधि ऑफर आमंत्रित कर आवंटित किया जाना है।
02. ऑफर नीलामी में भाग लेने हेतु समतुल्य मूल्य अथवा अन्य निर्देशित मूल्य की सालवंशी शोध क्षमता प्रमाण पत्र जमा किया जना अनिवार्य होगा।
03. निविदा भरने के पूर्व प्रत्येक ठेके के लिये ई. निविदा आमंत्रण सूचना विज्ञप्ति में दी गई विवरीण के अनुसार अग्रिम धरोहर के रूप में अमानत राशि (ईएमडी) रूप में जमा करना होगा।
04. अमानत राशि सम्पूर्ण ठेका अवधि तक घरोहर के रूप में कार्यालय में जमा रहेगी, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज दे नही होगा। ठेके अवधि के सफलता पूर्वक सम्पन्न होने पर अथवा सक्षम स्वीकृति अनुसार अन्तिम किश्त में समायोजन किया जा सकेगा।
05. ऑफर नीलामी में सक्षम स्वीकृति की प्रत्याशा के उच्चतम ऑफर कर्ता को ऑफर राशि का 25 प्रतिशत भाग नीलामी के 24 घन्टे के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा तथा ऑफर की शेष राशि तीन समान्य किश्तों मे जमा करना अनिवार्य होगा।
06. उच्चतम ऑफर कर्ता को ठेका राशि के तीन अग्रिम चैक सामान्य किश्तों में हस्ताक्षर कर जमा करना अनिवार्य होगा, किश्त राशि जमा करने में की गई चूक की दशा में अथवा समयावधि में जमा ना किये जाने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अतिरिक्त देय होगा।
07. उच्चतम ऑफर कर्ता की अमानत राशि छोडकर शेष ऑफर कर्ता की अमानत राशि वापस कर दी जावेगी।
08. सम्पत्ति का अंतरण मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल सम्पत्ति का अंतरण नियम 2016, मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाषित दिनांक 24 फरवरी 2016 एवं संषोधित नियम दिनांक 04 मई 2021 की अध्याधीन रहेगा।

    ●उपरोक्त सम्पत्ति के कर वसूली का अधिकार सफल निविदक को प्रारंभिक रूप से 11 माह की अवधि अर्थात् 01 मई 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिये प्रदान किया जावेगा।

    ●यदि सम्पत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी हुई क्षति को ऑफर कर्ता को ही वहन करना होगा। इसके लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद छपारा किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।

    ●मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद छपारा द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जावेगा।

    ●निविदक को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या किन्हीं अन्य पदार्थों के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी जो उसकी सम्पत्ति तथा आस–पास की सम्पत्तियों के लिए असुरक्षित हो।

    ● केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर/शुल्क/ अन्य प्रभारों का भुगतान सफल निविदाकार द्वारा किया जावेगा।
09. सफल निविदक को अमानत राशि के अतिरिक्त उच्चतम निविदा की 1/3 राशि (25 प्रतिशत राशि) निविदा खोले जाने के उपरांत निर्धारित तिथि में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि संबंधित द्वारा निर्धारित अवधि में उच्चतम निविदा का 1/3 राशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी अमानत राशि स्वतः राजसात हो जावेगी एवं निविदक का अधिकार स्वयमेव समाप्त हो जावेगा और पुनः निविदा की कार्यवाही की जावेगी। पुनः निविदा में नगर परिषद को कोई क्षति होती है तो वह क्षति की राशि संबंधित से मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के अध्याय 8 के अन्तर्गत वसूली योग्य होगी।
10. उच्चतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर ई–निविदा में प्राप्त प्रीमियम राशि पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी./एस. जी.एस.टी. की राशि जोड़कर कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि ई–निविदा खोलने के दिनांक से 24 घण्टे के भीतर नगर परिषद कोष में जमा करना अनिवार्य है।
11. किसी भी बकायादार को तथा उसके परिवार या घर के सदस्य को नीलामी की ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा, यदि बाद में भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह ई–निविदा प्रक्रिया में बकायादार रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जमा राशि राजसात करते हुए ठेका निरस्त किया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी नगर परिषद छपारा का निर्णय सर्वमान्य होगा।
12. ऑफर स्वीकृत होने एवं के उपरांत ठेकेदार को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प नियमानुसार अनुबंध 07 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय से करना होगा तथा ठेका राशि के चेक अग्रिम अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. अनुबंध के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में नगर परिषद छपारा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। वाद की स्थिति में प्रकरण का निराकरण व्यवहार न्यायालय छपारा के अध्याधीन होगा जो सर्वमान्य होगा।
14. सफल निविदक (ठेकेदार) की अनुबंध की अवधि में मृत्यु या मानसिक रूप से विकृति आ जाने की दशा में उक्त ठेका स्वयमेव समाप्त हो जायेगा तथा कोई बकाया राशि हो तो उसकी वसूली उक्त सफल निविदक (ठेकेदार) के वैधानिक उत्तराधिकारी या उसके नामांकित व्यक्तियों से या जमानतदार से नगर परिषद छपारा द्वारा वसूल की जावेगी।
15. नगर परिषद द्वारा निर्धारित निर्खनामा के अनुसार ही ठेकेदार वसूली कर सकेगा वसूली हेतु नगर परिषद छपारा की मोहर लगी रसीद बुक निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालय से प्राप्त की जावेगी। अधिक वसूली की शिकायत होने पर जाँच की जावेगी तथा शिकायत प्रमाणित होने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद छपारा
जिला-सिवनी (म.प्र.)

16. पूर्व वर्षों की तरह यदि किसी महामारी या आपदा के कारण शासन आदेशों तहत् बाजार बंद करने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी दशा में बंद अवधि की राशि गणना करते हुए उच्चतम ऑफरकर्ता को छूट प्रदान की जा सकेगी।
17. ठेकेदार अथवा उसके वसूलीकर्ता कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों से शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार किया जावेगा। अभद्रता एवं गाली–गलौज की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
18. ठेकेदार को वसूली हेतु ऐजेण्टों की सूची नगर परिषद कार्यालय में जमा करना होगा तथा ऐजेण्टों सजायपता/मुजरिम/अपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होने की अनुशंसा ठेकेदार को करना होगा। उनके संबंध में आवश्यक विवरण यथा नाम/पिता का नाम/आधार कार्ड/स्थाई निवास का पता/सम्पर्क (मोबाईल नम्बर) इत्यादि नगर परिषद छपारा को तुरन्त उपलब्ध कराया जाना होगा जिससे कि उनके परिचय पत्र इस कार्यालय द्वारा जारी किया जा सके।
19. मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा राजस्व प्रभारी, नगर परिषद छपारा को ठेकेदार द्वारा की जा रही वसूली के निरीक्षण का अधिकार संरक्षित होगा।
20. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा अपालन की स्थिति में नगर परिषद छपारा को यह अधिकार होगा कि वह समस्त जमा राशि राजसात करते हुए ठेका निरस्त कर सकेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद छपारा
जिला–सिवनी (म.प्र.)

पृ.क्र./160/ए/राजस्व/न.परि./2026 छपारा, दिनांक 24/04/2026

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. अध्यक्ष महोदया, नगर परिषद छपारा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. संवाददाता.. समाचार पत्र श्री .... को समाचार पत्र में उपयुक्त कम से कम स्थान पर एक दिवस के लिये शासकीय अनुमोदित दर पर प्रकाशनार्थ।
05. तहसील कार्यालय/जनपद पंचायत, छपारा की ओर कार्यालय सूचना पटल पर चस्पार्थ।
06. श्री.चमनलाल भारतीया.राजस्व प्रभारी, नगर परिषद छपारा की ओर ऑनलाईन निविदा प्राप्त होने उपरांत उच्चतम निविदादाता से नियमानुसार राशि प्राप्त कर नगर परिषद कोष में जमा किये जाने हेतु पालनार्थ।
07. आवक–जावक लिपिक, नगर परिषद छपारा की ओर कार्यालयीन सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद छपारा
जिला–सिवनी (म.प्र.)

Signature Not Verified
Digitally signed by GEETA BALMIKE
Date: 2026.04.25 17:16:07 IST
Location: Madhya Pradesh-MP